

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 752
अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 03-07-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री हुकाफि राजु

जति 21/07 उम्र पञ्च नि० राजा तहसील डूंगरपुर में न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत दिनांक 03-07-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा राजा पंचायत समिति 215 में स्थित खाता संख्या 2 पर आराजी नं० 217 राजा कुल 1 बीघा 4 बिस्वा किता 1 योग रकबा 1-04 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी कल्याण सिंह नि० राजा ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम राजा के खसरा नं० 215 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 1-02 की जमाबंदी सन्वत् 2068-71 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा राजा में स्थित खाता संख्या 2 पर आराजी नं० 217 रकबा 1-04 कुल किता 1 कुल रकबा 1-04 की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा राजा में स्थित खाता संख्या 2 पर आराजी नं० 217 रकबा 1-04 कुल किता 1 कुल रकबा 1-04 विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक पुनाली के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रू० 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर